सूचना प्रदाता नीति
(व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी)

(नीति संख्या.: 03.02.01 b / P-01/ R1)

संशोधन	दिनांक	जारीकर्ता
01	03.01.2022	
		मुख्य आचारनीति परामर्शदाता (CEC)

सूचना प्रदाता नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी)

1. प्रस्तावना

a) कंपनी इस बात को दृढ़ता से मानती है कि, कंपनी के सभी घटकों को पेशेवर दक्षता, सच्चाई, ईमानदारी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए अपने सभी कार्यों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालन करना चाहिए। इसके लिए, कंपनी ने टाटा आचार संहिता ("संहिता") तथा रिश्वत-विरोधी एवं भ्रष्टाचार निरोधक (ABAC) नीति को अपनाया है, जिनके आधार पर कंपनी व उसके कर्मचारियों के काम-काज को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और मानकों का निर्धारण होता है। इस संहिता का वास्तविक या संभावित तरीके से किसी भी प्रकार का उल्लंघन कंपनी के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, चाहे वह कितना भी महत्त्वहीन या मामूली क्यों ना हो। संहिता के इस प्रकार के उल्लंघनों की सूचना देने में कर्मचारियों की भूमिका किसी भी लिहाज से कम नहीं है। इस संहिता के अंतर्गत मौजूद एक प्रावधान के अनुसार कर्मचारियों के लिए संहिता के उल्लंघन की सूचना देना आवश्यक है, जिसमें बताया गया है:

"25. सूचना देने से सम्बद्ध विषय

टाटा कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी संहिता के वास्तविक या संभावित तरीके से किसी भी प्रकार के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को तुरंत सूचना देगा, या फिर यदि उसे ऐसी किसी घटना के बारे में पता चलता है जिससे उसके या टाटा कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को नुक़सान हो सकता है, तो वह इसके बारे में भी प्रबंधन को तुरंत सूचित करेगा।"

b) इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह सूचना प्रदाता नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) तैयार की गई है ताकि भारत या विदेश में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (TPL) के लिए काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए कंपनी की शीर्ष आचारनीति परिषद् से संपर्क करने की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके, जिसके अंतर्गत सभी सहायक कंपनियाँ, सहयोगी कंपनियाँ और संयुक्त उपक्रमों के साथ-साथ TPL के साथ लेन-देन करने वाले सभी तृतीय पक्ष शामिल हैं।

यह नीति सभी स्तरों और पदों पर काम करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, जिसके अंतर्गत सभी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधक, अधिकारी, अन्य कर्मचारी (सभी स्थायी कर्मचारी, नियत-अवधि हेतु नियुक्त या अस्थायी कर्मचारी), सलाहकार, ठेकेदार, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, प्रशिक्षु (इंटर्न), स्थानांतरित किए गए कर्मचारी, अनियत कर्मचारी और एजेंसी के कर्मचारी, एजेंट, या फिर हमारी कंपनी से सम्बद्ध कोई अन्य व्यक्ति सहित समय-समय पर मुख्य आचारनीति परामर्शदाता द्वारा हमारी कंपनी की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल हैं (इन सभी को सामूहिक रूप से **"कर्मचारी (कर्मचारीगण)"** कहा गया है)।

TPL के साथ लेनदेन करने वाले सभी व्यक्तियों या संगठनों को **"तृतीय पक्ष"** कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि, एजेंट सलाहकार तथा इस प्रकार के अन्य सभी अनाम व्यक्ति शामिल हैं।

2. परिभाषाएँ

इस नीति में उपयोग किए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएँ नीचे दी गई हैं। यहाँ मोटे अक्षरों में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा, जो संहिता के अंतर्गत बताया गया है।

a) **"लेखा परीक्षा समिति"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति है।

b) **मुख्य आचारनीति अधिकारी** का अर्थ कंपनी की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा इस पद के लिए नियुक्त प्रबंध निदेशक / कार्यकारी निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

c) **"मुख्य आचारनीति परामर्शदाता"** का अर्थ मुख्य आचारनीति अधिकारी / लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा इस पद के लिए नियुक्त अधिकारी / कार्यकारी होगा।

d) **"संहिता"** का अर्थ टाटा आचार संहिता है।

e) **"जाँचकर्ता"** का अर्थ उन व्यक्तियों से है जिन्हें मुख्य आचारनीति परामर्शदाता / शीर्ष आचारनीति परिषद् द्वारा अधिकृत या नियुक्त किया गया है अथवा परामर्श या संपर्क किया गया है, जिसमें कंपनी के लेखा परीक्षक तथा पुलिस भी शामिल हैं।

f) **"सुरक्षित प्रकटीकरण"** का मतलब अच्छी नीयत के साथ ऐसी जानकारी को प्रकट या प्रदर्शित करना है, जो किसी भी प्रकार की अनैतिक या अनुचित गतिविधि का प्रमाण हो सकती है।

g) **"सम्बद्ध व्यक्ति"** का अर्थ उस व्यक्ति से है, जिसके खिलाफ़ या उसके संबंध में सूचना का सुरक्षित प्रकटीकरण किया गया है, अथवा जाँच प्रक्रिया के दौरान सबूत इकट्ठा किए गए हैं।

h) **"सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर)"** का अर्थ उस कर्मचारी या तृतीय पक्ष से है, जो इस नीति के तहत किसी सूचना का सुरक्षित प्रकटीकरण करता है।

i) **"एजेंट"** का अर्थ किसी भी तीसरे पक्ष से है, जो कंपनी के साथ किसी भी प्रकार से जुड़ा होता है तथा कंपनी की ओर से प्रतिनिधित्व करता है / कार्य करता है / निर्णय लेता है। एजेंट के तहत बिक्री एजेंट, वितरक, ठेकेदार, सलाहकार, निकासी व अग्रेषण एजेंट, आदि शामिल हो सकते हैं।

3. दायरा

a) यह नीति टाटा आचार संहिता और ABAC नीति का विस्तृत रूप है। सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) विश्वसनीय जानकारी को रिपोर्ट करने वाले पक्ष की भूमिका निभाता है। उन्हें किसी जाँचकर्ता या सच्चाई का पता लगाने वाले व्यक्ति के रूप में काम करने की कोई जरूरत नहीं है या उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है, साथ ही वे किसी मामले में सुधारात्मक या उपचारात्मक कार्रवाई का निर्धारण नहीं करेंगे। मामले पर कार्रवाई का निर्धारण कंपनी द्वारा किया जाएगा।

b) सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) को अपने दम पर किसी भी तरह की जाँच-पड़ताल नहीं करनी चाहिए और न ही उन्हें किसी जाँच गतिविधि में भाग लेने का अधिकार है, जब तक कि मुख्य आचारनीति परामर्शदाता / शीर्ष आचारनीति परिषद् द्वारा ऐसा करने के लिए अनुरोध नहीं किया जाए।

c) सूचना के सुरक्षित प्रकटीकरण के मामले में, परिस्थिति के अनुरूप मुख्य आचारनीति परामर्शदाता / शीर्ष आचारनीति परिषद् द्वारा समुचित तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

4. पात्रता

इस नीति के तहत, कंपनी के सभी कर्मचारी और तृतीय पक्ष सूचना के सुरक्षित प्रकटीकरण करने के योग्य हैं। कंपनी या किसी अन्य टाटा कंपनी से जुड़े मामलों के बारे में सूचना का सुरक्षित प्रकटीकरण किया जा सकता है।

5. अयोग्यताएँ

a) हालांकि, ईमानदार सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) को किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार से पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जैसा कि यहाँ बताया गया है, लेकिन इस सुरक्षा का किसी भी तरीके से दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ़ निश्चित तौर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

b) इस नीति के तहत दी जाने वाली सुरक्षा का मतलब यह नहीं है कि, किसी सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) द्वारा लगाए गए ग़लत या फर्ज़ी आरोपों के बावजूद उसे सुरक्षा दी जाएगी और दुर्भावनापूर्ण इरादे से ग़लत या फर्ज़ी आरोप लगाए जाने के बारे में मालूम होने के बावजूद उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

c) ऐसे सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर), जो दो या दो से ज़्यादा बार सूचना का सुरक्षित प्रकटीकरण करते हैं, और बाद में पाया जाता है कि उन्होंने ग़लत या घटिया इरादे से, बिना किसी आधार के, दुर्भावनापूर्ण तरीके से, या बुरी नीयत से सूचना प्रदान की है, तो इस नीति के तहत उन्हें भविष्य में सूचना के सुरक्षित प्रकटीकरण के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। जानबूझकर झूठी शिकायत या आरोप लगाने वाले सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ज़ुर्माने के अलावा निलंबन और नौकरी से बर्ख़ास्तगी शामिल है।

6. प्रक्रिया

a. वित्तीय / लेखा मामलों से संबंधित सभी सूचनाओं के सुरक्षित प्रकटीकरण और आगे की जाँच के लिए कंपनी के मुख्य आचारनीति परामर्शदाता/शीर्ष आचारनीति परिषद् को संबोधित किया जाना चाहिए।

b. अन्य सभी सूचनाओं के सुरक्षित प्रकटीकरण, जो शीर्ष आचारनीति परिषद् के सदस्यों, ग्रेड-बी के कर्मचारियों या प्रबंध निदेशक को सीधे रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों से संबंधित हैं, उसे कंपनी की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए, तथा अन्य कर्मचारियों से संबंधित मामलों में कंपनी के मुख्य आचारनीति परामर्शदाता / शीर्ष आचारनीति परिषद् को संबोधित किया जाना चाहिए।

c. कंपनी के इंट्रानेट और कंपनी की वेबसाइट पर कंपनी के मुख्य आचारनीति परामर्शदाता का संपर्क विवरण स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, तथा उनकी नियुक्ति के समय सभी कर्मचारियों को विधिवत सूचना प्रदान की जाएगी।

d. अगर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष या मुख्य आचारनीति अधिकारी या मुख्य आचारनीति परामर्शदाता के अलावा कंपनी के किसी भी कार्यकारी को सुरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होता है, तो उसे समुचित कार्रवाई के लिए मुख्य आचारनीति परामर्शदाता/शीर्ष आचारनीति परिषद् के पास भेजा जाना चाहिए। सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) की पहचान को गोपनीय रखने के लिए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

e. लिखित तरीके से सूचना के सुरक्षित प्रकटीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट तौर पर समझा जा सके, और उसे या तो टाइप किया जाना चाहिए या फिर अंग्रेज़ी, हिंदी अथवा सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) के रोजगार के स्थान की क्षेत्रीय भाषा में अच्छी तरह समझ आने वाली लिखावट में लिखा जाना चाहिए।

f. आदर्श रूप से, सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) को इस प्रकार के सुरक्षित प्रकटीकरण को आगे भेजते समय आवरण पत्र (कवरिंग लेटर) में अपनी पहचान के बारे में जानकारी देना चाहिए। मुख्य आचारनीति परामर्शदाता / शीर्ष आचारनीति परिषद् द्वारा आवरण पत्र (कवरिंग लेटर) को निकालकर अलग रखा जाएगा और केवल सुरक्षित प्रकटीकरण को आगे की जाँच के लिए जाँचकर्ताओं के पास भेजा जाएगा।

g. आम तौर पर, अपना नाम बताए बिना किए गए प्रकटीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) से इस बारे में बातचीत कर पाना संभव नहीं होगा। हालांकि, जब गुमनाम सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) अपने शिकायत की पुष्टि के लिए पूरे ब्योरे के साथ और एकदम विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि कथित तौर पर आरोपी की जानकारी, स्थान और घटना का स्वरूप, मामले के बारे में जानने वाले अन्य कर्मचारियों के नाम, विशेष सबूत, इसमें शामिल धनराशि आदि, तो इस नीति के तहत मुख्य आचारनीति परामर्शदाता अपने विवेकाधिकार के आधार पर इसे सुरक्षित प्रकटीकरण के रूप में स्वीकार करने का निर्णय ले सकता है।

h. सुरक्षित प्रकटीकरण किसी भी तरह के अनुमान या काल्पनिक नतीजों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और इसमें यथासंभव विशिष्ट जानकारी मौजूद होनी चाहिए, ताकि मामले के स्वरूप और इसकी गंभीरता के साथ-साथ तत्काल प्रारंभिक जाँच प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत का उचित मूल्यांकन किया जा सके।

i. नीचे बताए गए सभी या किसी भी माध्यम से मामले के बारे में सूचना दी जा सकती है।
   - ई-मेल: tpl-whistleblower@tataprojects.com
   - नीचे दिए गए डाक पते पर पत्र भेजें:

     मुख्य आचारनीति अधिकारी/ मुख्य आचारनीति परामर्शदाता/ अध्यक्ष- लेखा परीक्षा समिति
     टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
     वन बुलवार्ड स्ट्रीट, लेक बुलवार्ड रोड,
     हीरानंदानी बिजनेस पार्क, पवई, मुंबई – 400076, भारत

7. जाँच-पड़ताल

a. इस नीति के तहत सभी सूचनाओं के सुरक्षित प्रकटीकरण की समुचित जाँच कंपनी के मुख्य आचारनीति परामर्शदाता / शीर्ष आचारनीति परिषद् द्वारा की जाएगी।

b. शीर्ष आचारनीति परिषद् के सदस्यों से जुड़े या उनसे संबंधित सूचनाओं के सुरक्षित प्रकटीकरण की जाँच लेखा परीक्षा समिति द्वारा स्वयं की जाएगी।

c. मुख्य आचारनीति परामर्शदाता / शीर्ष आचारनीति परिषद् मामले की आगे जाँच के लिए अपने विवेक के आधार पर किसी भी जाँचकर्ता को शामिल करने पर विचार कर सकती है।

d. मुख्य आचारनीति अधिकारी/मुख्य आचारनीति परामर्शदाता/शीर्ष आचारनीति परिषद् /लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा जाँच कराने का निर्णय अपने आप में आरोप नहीं है, तथा इसे एक निष्पक्ष एवं सच्चाई का पता लगाने वाली प्रक्रिया समझा जाना चाहिए। जाँच के नतीजे सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) के इस निष्कर्ष से अलग हो सकते हैं कि उस मामले में अनुचित या अनैतिक कार्य किया गया था।

e. क़ानून और जाँच की वैध जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मामले से सम्बद्ध व्यक्ति की पहचान को यथासंभव गोपनीय रखा जाएगा।

f. जाँच प्रक्रिया के दौरान सम्बद्ध व्यक्ति को अपनी बातों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

g. जाँच प्रक्रिया में सम्बद्ध व्यक्ति को मुख्य आचारनीति परामर्शदाता/शीर्ष आचारनीति परिषद् या अन्य जाँचकर्ताओं के साथ पूरी तरह सहयोग करना होगा, परंतु सहयोग करने का मतलब यह नहीं है कि उसे अपना दोष स्वीकार करना होगा।

h. सम्बद्ध व्यक्ति को मुख्य आचारनीति परामर्शदाता/शीर्ष आचारनीति परिषद् और/या लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के अलावा अपनी पसंद के किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से परामर्श करने का अधिकार है। जाँच की प्रक्रिया के दौरान सम्बद्ध व्यक्ति अपने खर्च पर परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो जाँच की कार्यवाही में सम्बद्ध व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा।

i. जाँच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना सम्बद्ध व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मामले से संबंधित सबूतों को छिपाया नहीं जाएगा, नष्ट नहीं किया जाएगा या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, साथ ही सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा गवाहों को प्रभावित, प्रशिक्षित, डराया या धमकाया नहीं जाएगा।

j. जब तक कि ऐसा न करने के लिए अनिवार्य कारण न हों, तब तक सम्बद्ध व्यक्ति को जाँच रिपोर्ट में दिए गए महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाएगा। जब तक कि आरोप की पुष्टि करने वाले ठोस सबूत न हों, तब तक सम्बद्ध व्यक्ति के खिलाफ़ ग़लत या ग़ैरक़ानूनी काम करने के किसी भी आरोप को बनाए रखने योग्य नहीं माना जाएगा।

k. सामान्य तौर पर, सूचना का सुरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर जाँच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

8. संरक्षण

a. इस नीति के तहत सूचना के सुरक्षित प्रकटीकरण के आधार पर सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) के साथ किसी तरह का अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। एक नीति के रूप में, कंपनी सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) के खिलाफ़ किसी भी प्रकार के भेदभाव, अत्याचार, उत्पीड़न या किसी अन्य अनुचित व्यवहार की निंदा करती है। इसलिए, सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) को किसी भी अनुचित व्यवहार के खिलाफ़ पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें बदले की भावना, डराना-धमकाना या नौकरी से बर्ख़ास्तगी/निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण, पदावनति, पदोन्नति को नामंजूर करने की धमकी, या फिर सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) के अपने पद की जिम्मेदारियों का पालन में बाधा डालने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग सहित आगे सुरक्षित प्रकटीकरण में बाधा डालना शामिल है। कंपनी सूचना के सुरक्षित प्रकटीकरण की वजह से सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए कदम उठाएगी। इस प्रकार, अगर सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) को आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही में सबूत देना आवश्यक है, तो कंपनी इस बात की समुचित व्यवस्था करेगी कि सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) को इसकी प्रक्रिया, इत्यादि के बारे में सलाह प्राप्त हो सके।

b. सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) ऊपर बताया गए खंड के किसी भी तरीके से उल्लंघन के बारे में मुख्य आचारनीति परामर्शदाता/शीर्ष आचारनीति परिषद् को सूचना दे सकता है, जो इसकी जाँच करेंगे और उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करेंगे/ कार्रवाई करेंगे।

c. जहाँ तक संभव हो सके, सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा और क़ानून के तहत ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। सूचना प्रदाताओं (व्हिसल ब्लोअरर्स) को आगाह किया जाता है कि मुख्य आचारनीति परामर्शदाता/शीर्ष आचारनीति परिषद् के नियंत्रण से बाहर के कारणों (उदाहरण के तौर पर, जाँचकर्ताओं द्वारा की गई जाँच के दौरान) से उनकी पहचान उजागर हो सकती है।

d. इस प्रकार की जाँच में सहायता करने वाले किसी अन्य कर्मचारी को भी उसी सीमा तक सुरक्षा दी जाएगी, जिस तरह से सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

9. जाँचकर्ता

a. जाँचकर्ताओं के लिए सच्चाई का पता लगाना तथा उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। जाँचकर्ताओं को अपनी जाँच प्रक्रिया के दौरान और जाँच के दायरे के भीतर कार्य करते समय मुख्य आचारनीति परामर्शदाता/शीर्ष आचारनीति परिषद् से अपने प्राधिकार और अभिगम अधिकार प्राप्त होंगे।

b. जरूरत पड़ने पर, जाँच के दायरे को बढ़ाने के लिए तकनीकी और अन्य संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। सभी जाँचकर्ता सही मायने में और कथित तौर पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होंगे। सभी के प्रति समान व्यवहार, निष्पक्षता, मामले के सभी पहलुओं के अवलोकन, नैतिक आचरण तथा क़ानूनी एवं पेशेवर मानकों का पालन करना जाँचकर्ताओं का कर्तव्य है।

c. शुरुआती निरीक्षण के बाद ही जाँच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो इस बात की पुष्टि करता है कि:

   i. कथित कार्य एक अनुचित या अनैतिक गतिविधि या आचरण है, तथा

   ii. या तो आरोप के साक्ष्य के तौर पर दी गई जानकारी जाँच के लिए पर्याप्त है, या फिर मुख्य आचारनीति परामर्शदाता/शीर्ष आचारनीति परिषद् के विचारानुसार प्रस्तुत किया गया मामला आगे की जाँच के योग्य है।

10. निर्णय

अगर जाँच के नतीजों से यह बात स्पष्ट होती है कि मामले में किसी तरह का अनुचित या अनैतिक कार्य किया गया है, तो उसी स्थिति में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष/मुख्य आचारनीति परामर्शदाता/ शीर्ष आचारनीति परिषद् की ओर से अनुशासनात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि, इस नीति के अनुसार जाँच के नतीजों के परिणामस्वरूप सम्बद्ध व्यक्ति के खिलाफ़ शुरू की गई कोई भी अनुशासनात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई कंपनी के कर्मियों या कर्मचारियों पर लागू होने वाली अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के अनुरूप होगी, जिसे कंपनी की नीतियों में परिभाषित किया गया है।

11. रिपोर्टिंग

शीर्ष आचारनीति परिषद् के संयोजक मामले की स्थिति पर नज़र बनाए रखेंगे, तथा समय-समय पर मामले की मौजूद स्थिति, जाँच के नतीजों और शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

12. दस्तावेज़ों को अपने पास रखना

लिखित तौर पर या दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किए गए सभी सुरक्षित प्रकटीकरण के साथ-साथ उससे संबंधित जाँच के परिणामों को कंपनी द्वारा कम-से-कम सात साल की अवधि के लिए अपने पास रखा जाएगा।

13. संशोधन

शीर्ष आचारनीति परिषद् के पास इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने, समीक्षा करने और इस नीति में संशोधन करने का अधिकार होगा।